जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार।

फौजदारी क्षेत्राधिकार

जनपद हरिद्वार के समस्त सत्र परीक्षण वाद (एन.डी.पी.एस. एक्ट, गैंगेस्ट्र एक्ट एवं एस.सी.एस.टी.एक्ट के वादो को छोंडकर) 135 विद्युत अधिनियम से समबन्धित विशेष सत्र परीक्षण वाद एवं सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार की फौजदारी अपील एवं पुनरिक्षण वाद।

दीवानी क्षेत्राधिकार

सम्पूर्ण जनपद के मूलवाद अर्न्तगत धारा 92 सी0पी0सी0, वक्फ बोर्ड अधिनियम, धारा 5 सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, निष्पादन वाद आरबीट्रैशन एक्ट, प्रोबेट, नियत प्राधिकारी /श्रमायुक्त अधिनियम, चुनाव याचिका नगर निगम, नगर पंचायत एवं नगर पालिका, लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट शैक्षिक ट्रिबुनल, इन्सोलवेन्सी अधिनियम, पांच लाख रूपये के मूल्यांकन तक के सिविल अपील, प्रर्कीण सिविल अपील, सिविल निगरानी, रेन्ट कन्ट्रोल अपील, पी0पी0 एक्ट, खफीफा वाद 25000/– रूपये से अधिक के मूल्यांकन के एवं तहसील हरिद्वार एवं लक्सर से समबन्धित सिविल अपील, मोटर र्दुघटना प्रतिकर वाद, स्थानान्तरण वाद अर्न्तगत धारा 24 सी0पी0सी0।

पंचम अपर जिला जज, हरिद्वार

फौजदारी क्षेत्राधिकार

मूल रूप से सर्म्पूण जनपद के (एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं गैंगेस्ट्र एक्ट) से सम्बन्धित वादो को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है, अन्य सभी दीवानी एवं फौजदारी वाद माननीय जनपद न्यायाधीश हरिद्वार द्वारा समय समय पर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाते है।

द्वितीय त्वरित न्यायालय/ अपर जिला जज, हरिद्वार

फौजदारी क्षेत्राधिकार

मूल रूप से सर्म्पूण जनपद के एस0सी0एस0टी0 अधिनियम) से सम्बन्धित वादो को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है एवं अन्य सभी दीवानी एवं फौजदारी वाद माननीय जनपद न्यायाधीश हरिद्वार द्वारा समय समय पर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाते है।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हरिद्वार

(ए) थाना कोतवाली नगर हरिद्वार, थाना कोतवाली ज्वालापुर, थाना कोतवाली रानीपुर, थाना जी0आर0पी0, हरिद्वार, थाना आर0पी0एफ0 हरिद्वार से समबन्धित सभी पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद पर आधारित सभी प्रकार के फौजदारी वाद।

(बी) मुख्यालय हरिद्वार से समबन्धित सभी आर्थिक अपराध।

(सी) जनपद हरिद्वार के सभी राजपत्रित अधिकारी, पुलिस उपनिरिक्षक एवं उनसे उपर के अधिकारियो के विरूद्व पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद पर आधारित मामलो का एव आबकारी विभाग से समबन्धित समस्त मामलो का क्षेत्राधिकार।

(डी) सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चालान, 92 फैक्ट्री अधिनियम, वन्य जीव जन्तु अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, श्रम संविदा अधिनियम एवं उपरोक्त थानो से सम्बन्धिम 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

(ई) सम्पूर्ण जनपद से समबन्धित नगर पालिका अधिनियम की अपील।

सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग) हरिद्वार

मुख्यालय हरिद्वार के मूल्यांकन एक लाख रूपये से अधिक किसी भी सीमा तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार एक से लेकर पच्चीस हजार तक के मूल्यांकन तक , उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख से अधिक किसी भी सीमा तक, सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से समबन्धित इजराय वाद एवं मुख्यालय हरिद्वार से सम्बन्धित पी0ए0 वाद।

द्वितीय अपर सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग)/ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी हरिद्वार

थाना बहादराबाद से सम्बन्धित सभी पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित वाद एवं 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

सिविल जज(कनिष्ठ प्रभाग) हरिद्वार

मुख्यालय हरिद्वार के मूल्यांकन एक लाख रूपये तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार तक, उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख तक तथा सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से सम्बन्धित इजराय वाद।

थाना श्यामपुर से समबन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित दण्डवाद एवं सम्बन्धित थाने के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पुलिस चालानी, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम व पुलिस अधिनियम से समबन्धित वाद एवं 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।